

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक-प. 2(1)राज-6/2018/93

जयपुर, दिनांक- 20/5/2022

अधिसूचना

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (वर्ष 1971 का अधिनियम सं० 12) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जिला कलक्टर, जैसलमेर के प्रस्तावानुसार ग्रामदानी ग्राम भागू का गांव जिला जैसलमेर में स्थित भूमि में से नीचे दर्शित अनुसूची अनुसार भूमि के प्रबन्धन से ग्राम समा को एतद्द्वारा निर्निहित करती है:-

ग्रामदानी ग्राम	खसरा नं०	किस्म	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)	निर्निहित क्षेत्रफल (हैक्टर में)
भागू का गांव	152	बंजड़	2.64	0.0929

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एम.जी. रत्नू) 20/5/22
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 20/5/22 में प्रकाशन हेतु।
5. अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्राम भागू का गांव, जिला जैसलमेर (राज०)।
6. रक्षित पत्रावली।

(एम.जी. रत्नू) 20/5/22
शासन उप सचिव